बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–03/2016 80 पटना, दिनांकः 8|3|2019

कार्यालय आदेश

श्री किशोर कुमार दास, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज प्रखंड, नवादा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, खुटौना प्रखंड, मधुबनी के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–258439 दिनांक–15.01.2016 के साथ संलग्न उप विकास आयुक्त, नवादा के पत्रांक–639/गो० दिनांक 01.11.2010 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–41 सहपठित ज्ञापांक–325 दिनांक–16.02.2016 द्वारा श्री किशोर कुमार दास पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) नवादा को तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा को नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी –सह–अपर सचिव–सह– जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–2886, दिनांक –20.11.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि :–

" आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा का मंतव्य का अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। आरोपी कर्मी के विरूद्ध इंदिरा आवास का भौतिक लक्ष्य के अनुरूप माह–जून, 2010 तक इंदिरा आवास योजना की शत प्रतिशत स्वीकृति प्रदान नहीं कर कर्त्तव्योपेक्षा एवं विभागीय आदेश का उल्लंधन करने एवं प्रखंड मुख्यालय में आवासन नहीं करने का आरोप गठित किया गया है। इस संदर्भ में आरोपी कर्मी ने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उनकी पदस्थापन नारदीगंज प्रखंड में दिनांक–04.04.2010 को हुई थी एवं इंदिरा आवास योजना के अनुश्रवण के क्रम में उन्हें ज्ञात हुआ था कि इस संबंध में पूर्व में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी पर अनियमितता संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये थे। इसी कारण प्रखंड के सभी 11 पंचायतों के लाभुकों की स्थायी प्रतीक्षा सूची के आलोक में प्रत्येक पंचायत का सघन दौरा कर वास्तविक लाभुकों का सत्यापन किया गया एवं तत्पश्चात् माह दिसंबर, 2010 तक शत– प्रतिशत लक्ष्य पारित किया गया। प्रखंड मुख्यालय में आवासन नहीं करने के संदर्भ में भी आरोपी कर्मी ने स्पष्टीकरण समर्पित किया है कि प्रखंड नारदीगंज नवसृजित प्रखंड है, जो पंचायत भवन हण्डिया में स्थापित है। वहाँ सरकारी आवास नहीं रहने एवं बुनियादी संरचना का अभाव रहने के कारण प्रारंभिक पदस्थापन काल में जिला मुख्यालय मे आवासन किया गया था किन्तु उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुपालन में माह अगस्त,2010 से नारदीगंज प्रखंड में आवासन कर रहा हूँ। उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित मंतव्य में आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण के विरूद्ध कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है । साथ ही

025 स्था0 1(का0 आ0) (01 मार्च 2019) किशोर कुमार दास.

आरोपी कर्मी के पदस्थापना के मात्र तीन महीने के कार्यकाल दिनांक (04.04.2016 से 30.06.2016 तक) का मूल्यांकन कर इंदिरा आवास का भौतिक लक्ष्य के अनुरूप माह जून, 2010 तक इंदिरा आवास योजना की शतप्रतिशत स्वीकृति नहीं देने का आरोप गठित किया गया है, जबकि इंदिरा आवास का लक्ष्य वार्षिक होता है न कि त्रैमासिक। (उपर्युक्त वर्णित तिथि दिनांक–04.04.2016 से 30.06.2016 वास्तविक में 04.04.2010 से 30.06.2010 होना प्रतीत होता है क्योंकि संचालन प्रतिवेदन में श्री किशोर कुमार दास के नारदीगंज प्रखंड में पदस्थापन की तिथि दिनांक–04.04.2010 अंकित है एवं श्री किशोर कुमार दास के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र पपत्र 'क' में भी मामला वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 (जून, 10 तक) का दर्शाया गया है।

नवपदस्थापन काल के सिर्फ तीन महीने के कार्य मूल्यांकन के आधार पर आरोप गठित किये जाने एवं आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित बिन्दुवार स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा के मंतव्य में कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने के कारण आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

इस प्रकार इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।"

3. संचालन पदाधिकारी –सह–अपर सचिव–सह– जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा द्वारा भेजे गये जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री किशोर कुमार दास, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज प्रखंड, नवादा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, खुटौना प्रखंड, मधुबनी पर लगाये गये आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–03/2016 514 पटना, दिनांक : 8/3/2019

प्रतिलिपि :–विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नवादा/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नवादा/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज, नवादा।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री कशोर कुमार दास, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, खुटौना प्रखंड,मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 07/03

025 स्था० 1(का०आ०) (01 मार्च 2019) किशोर कुमार दास